पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1 मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसिटी बोर्ड कोलोनी,
शास्त्रीनगर, पटना – 800023
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,

स्पीड-पोस्ट

संदर्भ: RTI/FAA/Order/ दिनांक: 14.06.2022

अपीलकर्ता: **श्री रामुदगार सिंह, पारसारमा पारसोनी बरैल के नजदीक सुपौल पिन न: 852110 (बिहार) मोबाइल न:-91-8210299924**

प्रतिवादी: **केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पावरग्रिड,पटना**

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**श्री ए.बराट,कार्यपालक निदेशक सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,पावरग्रिड पटना-800023.**

शिकायत /अपील से प्राप्त हुए तथ्य:

1. प्रथम सूचना आवेदन की तिथि :**19.03.2022 – (अनुलग्नक)**
2. आवेदन का उत्तर : **08.04.2022- (अनुलग्नक)**
3. प्रथम अपील के आवेदन की तिथि : **23.04.2022- (अनुलग्नक)**
4. अपील की सुनवायी के लिए सूचना दिये जाने की तिथि: **18.05.2022 एवं 23.05.2022 (अनुलग्नक)**
5. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय मे सुनवाई की तिथि :**14.06.2022, सुबह 11:00 बजे आनलाइन के माध्यम से ।**

आदेश
(14.06.2022)

अपीलकर्ता द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन रजि.न:-**PGCIL/R/E/22/00110 दिनांक-19.03.2022** को दिया गया था। जिसका उत्तर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पटना के द्वारा **संदर्भ संख्या- PG/ER-1/RHQ/RTI-295/2021-22/57 दिनांक-08.04.2022** को अग्रसारित किया जा चुका है। **उत्तर से संतुष्ट नही होने के कारण आवेदनकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन रजि.न. PGCIL/A/E/22/00019 दिनांक-23.04.2022** को किया गया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू.क्षे.1, पटना के समक्ष अपील की सुनवाई ऑनलाइन के माध्यम से किये जाने की सूचना अपीलकर्ता को पत्र संदर्भ संख्या-**RTI/FAA/Hearing/43/567** दिनांक **18.05.2022 को दिया गया जिसके माध्यम से सुनवाई की तिथि 23.05.2022, सुबह11:00 बजे निर्धारित किया गया, परंतु नियत समय और तिथि मे केवल** केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड उपस्थित हुए आपीलकर्ता अनुपस्थित रहे। **अतएव पुन:** पत्र संदर्भ संख्या- **RTI/FAA/ Hearing/302/ 656** दिनांक **23.05.2022 के माध्यम से** अपील की सुनवाई आनलाइन के माध्यम से किये जाने की सूचना दोनों पक्षों को दी गयी तथा **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तिथि और समय दिनांक-14.06.2022, सुबह11:00 बजे निर्धारित किया गया।** उपरोक्त तिथि पर दोनों पक्ष ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हुए तथा अपना-अपना पक्ष रखा ।

2. **<u>अपीलकर्त्ता का पक्ष</u>**:-अपीलकर्ता ने अपना पक्ष रखा कि उन्होने अपने आवेदन मे सूचना मांगी थी कि विधुत पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान उनके वृक्षों की माप काटने से पहले की गई थी या काटने के बाद वृक्षों की मापी की गयी । परंतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उन्हें मांगी गयी सूचना प्रदान नही की गयी।

3. **<u>केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पक्ष:</u>** केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का पक्ष है कि अपीलकर्त्ता का सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन स्पष्ट नहीं है । अपीलकर्ता को उत्तर दिनांक 08.04.2022 के माध्यम से पारेषण लाइन निर्माण के दौरान होने वाली क्षतिपूर्ति के नियम व आवेदनकर्ता को दी गयी क्षतिपूर्ति की राशि की सूचना प्रदान कर दी गयी है ।

उपरोक्त तिथि पर अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी दोनो पक्ष ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हुए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपना-अपना पक्ष मौखिक व ऑनलाइन के माध्यम से रखा । दोनो पक्षों को सुनने एवं सम्बंधित दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है :-

<u>निर्णय</u>

1. दोनो पक्षों को सुनने एवं सभी दस्तावेजो का अवलोकन करते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को निर्णय के तिथि से 30 दिन के अंदर स्पष्ट रूप से सूचना उपलब्ध कराएं कि अपीलकर्ता के आवेदन में उल्लेखित वृक्षों की माप काटने से पहले ली गई थी या बाद में ।

2. उपरोक्त सभी साक्ष्यो के आलोक में अपील का निपटारा तदनुसार दिनांक-**14.06.2022** को किया गया।

(अ बराट)
कार्यपालक निदेशक
<u>सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकारी</u>

वितरण:-

1. **श्री रामुदगार सिंह, पारसारमा पारसोनी बरेल के नजदीक सुपौल पिन न: 852110 (बिहार) मोबाइल न:-91-8210299924**
2. **श्री एम.क्यु हुदा, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड,पू.क्षे.1,पटना-800023.-** आदेश का अनुपालन एवं उचित कार्यवाही हेतु ।